

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ०प्र० सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ

वेबसाइट: hajcommittee.up.gov.in ; ई-मेल : hajcommittee.up@gmail.com

पत्रांक : जी-॥/९३८/एस०एच०सी/२०२५

दिनांक : 16.06.2025

—: प्रेस विज्ञप्ति :-

हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई द्वारा सर्कुलर-1 दिनांक 16.06.2025 जारी किया गया है। अवगत कराया गया है कि सऊदी हुकूमत द्वारा हज-2026 के सम्बन्ध में प्रारम्भिक व्यवस्थाओं हेतु प्रपत्र दिनांक 08 जून, 2025 को जारी किया गया है। हज-2026 (1447 हि०) की आवश्यक तैयारियों हेतु निम्न निर्देश व समय सीमा निर्धारित की गयी हैं जिसके अन्तर्गत इच्छुक हज आवेदकों को अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी :-

- हज-2026 की अधिकारिक घोषणा जुलाई, 2025 में सम्भावित है।
- हज-2026 हेतु पासपोर्ट मशीन पठित होना आवश्यक है। हस्तलिखित पासपोर्ट मान्य नहीं होगा।
- हज-2026 के आवेदन हेतु पासपोर्ट की वैधता 31 दिसम्बर, 2026 तक होना आवश्यक है।
- जो इच्छुक आवेदक हज-2026 की यात्रा हेतु नये पासपोर्ट का आवेदन कर रहे हैं उनको सलाह दी जाती है कि नुसुक पोर्टल की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने पासपोर्ट में सरनेम/लास्ट नेम का कॉलम खाली न छोड़ें।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में हज-2026 के सभी इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वह अपना मूल अन्तराष्ट्रीय पासपोर्ट तैयार रखें, जिनके पास 31 दिसम्बर, 2026 तक की वैधता का पासपोर्ट उपलब्ध है वह आवेदन हेतु तैयार रहें, जिनके पास पासपोर्ट 31 दिसम्बर, 2026 तक वैध नहीं है वह नया पासपोर्ट बनवा लें। इसके लिए वह तत्काल पासपोर्ट कार्यालयों में आवेदन कर दें, ताकि जुलाई-2025 में हज-2026 की घोषणा होने पर ऑनलाइन आवेदन हेतु उनके पास पासपोर्ट उपलब्ध रहे।

(एस०पी० तिवारी)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० को मा० मंत्री जी को अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज को मा० मंत्री जी को अवगतार्थ।
3. मा० सदस्यगण, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. प्रमुख मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ०प्र० शासन।
5. निदेशक, उ०प्र० अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
7. समस्त ई-सुविधा केन्द्र, समस्त जनपद, उ०प्र०।
8. सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।
9. समस्त प्रशिक्षक, उ०प्र०।

(एस०पी० तिवारी)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी